्रीय उपखण्ड   कठूमर जिला अलवर

2/180/2022

तारीख रजू......

सुमित्रा बनाम रमेशचन्द वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
01.07.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 278/1497, 279/1499, 162/1614, 278/1498, 279/1619, वाके ग्राम डोरोली एवं आराजी खसरा नं. 302/533, 304/530, वाके ग्राम डोरोली तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 18.07.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि० डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 18.07.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
18/7/22	वकील प्रार्थी ......उपस्थित ...... दिनांक...... को पालना हेतु पक्ष.... की ......व.क्ली अप्रार्थी दिनांक...... 27.7.22 ......को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

[illegible] व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7/8/23	पत्रावली वास्ते [illegible] उपरोक्त [illegible] वास्ते अंतिम बहस [illegible] पत्रावली दिनांक 2[illegible]/9/23 को पेश हो।	
20/9/23	[illegible] उपस्थिति। साबिक आदेश दिनांक 17/10/23 की पालना में पत्रावली [illegible] अंतिम बहस दिनांक 23/11/23 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/10/23	पत्रावली आज मूल वाद के साथ वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुआ वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपने प्रार्थना पत्र वापस लेकर खारिज कराये जाने का निवेदन किया गया। प्राप्त पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वापस प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर अर्जी [illegible] पर खारिज किया जाता है पत्रावली मिसल शुमार होकर मूल वाद के साथ शामिल रहे मुन्सरिम SDM उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	
31/[illegible] मुन्सरिम		